उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान सहत्रधारा रोड, देहरादून।

विज्ञप्ति

23 सितम्बर, 2013 ई0

संख्या 4448/एसटीए/दस–1/2013–उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 619/ix/166/2005 दिनांक 17–01–2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 20–08–2013 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि से सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 27–12–2012 के संकल्प संख्या 11 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 1345/एसटीए/दस–1/2013 दिनांक 04–05–2013 (जो वर्तमान में लागू है), का अतिक्रमण करते हुए मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों का यात्री किराया तथा माल वाहनों के भाड़े की दरों में संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से दरें निर्धारित की जाती हैं:–

1– मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें

एक– नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

(1)	साधारण सेवा	क– मैदानी मार्ग हेतु	75 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
		ख– पर्वतीय मार्ग हेतु	95 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2)	रिजर्व पार्टी परमिट	क– मैदानी मार्ग हेतु	85 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
		ख– पर्वतीय मार्ग हेतु	120 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3)	एक्सप्रेस सेवा	—	उपरोक्त दर का 1.10 गुणा
(4)	सेमीडीलक्स सेवा	—	उपरोक्त दर का 1.25 गुणा
(5)	डीलक्स सेवा	—	उपरोक्त दर का 1.70 गुणा
(6)	वातानुकूलित सेवा	—	उपरोक्त दर का 1.90 गुणा

दो– केवल नगर निगम या नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 25 कि.मी. से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलायी जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

क्र0सं0	मार्ग की दूरी	यात्री किराया (प्रति यात्री रू0 में)
1	प्रथम 4 कि.मी. तक	5.00
2	4 से अधिक किन्तु 7 कि.मी. तक	8.00
3	7 से अधिक किन्तु 10 कि.मी. तक	10.00
4	10 से अधिक किन्तु 13 कि.मी. तक	13.00
5	13 से अधिक किन्तु 16 कि.मी. तक	17.00
6	16 से अधिक किन्तु 19 कि.मी. तक	18.00
7	19 कि.मी. से अधिक	20.00

स्पष्टीकरण

1– यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि वयस्क यात्रियों से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री किराया रू0 3.12 होगा और अव्यस्क यात्रियों के मामले में रू0 2.00 होगा।

2– संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थः–

1.01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0
1.51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0

3– यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी.) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

4– किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

5– मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाड़ियों पर लगाई गई हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूल किया जा सकेगा।

6– एक्सप्रेस सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो ऐसे मार्ग पर संचालित हो, जिसकी लम्बाई 200 कि.मी. से कम न हो और जो केवल जिला एवं तहसील मुख्यालय पर रूकती हो और निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों:–

क. प्रत्येक यात्री सीट–

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40×38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊँची बैक् रेस्ट वाली जिसमें 40 / 15.24×23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकॉट रैक्सीन के कवर हों।

ख. बैठने की व्यवस्था– सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

ग. खिड़कियां– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

घ. चालक केबिन– चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

ड.– श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिएं।

7– सेमी डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:–

क. प्रत्येक यात्री सीट–

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40×40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे फामे के कुशन की रैक्सिन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40 / 17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

ख. बैठने की व्यवस्था– सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

ग. खिड़कियां– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

घ. चालक केबिन– चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

ड.– श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिएं।

8– डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:–

क. प्रत्येक यात्री सीट–

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8×48.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे फामे के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40 / 17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

ख. बैठने की व्यवस्था– सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

ग. खिड़कियां– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौडी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

घ. चालक केबिन– चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

ड.– वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिएं।

9– पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक, तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

2– ठेका गाड़ियों के लिए किराये की दरें

एक– ऑटोरिक्शा		
(1)	किराये की दरें	प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रू0 20.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. हेतु रू0 09.00
(2)	रात्रि किराया	उपरोक्त दर का 25 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक)

दो– टैम्पो		
(1)	किराये की दरें	रू0 8.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग हेतु

तीन– टैक्सी कैब		
(1)	किराये की दरें साधारण सेवा	रू0 11.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए
	वातानुकूलित सेवा	उपरोक्त दर का 50 प्रतिशत अधिक।
(2)	प्रतीक्षा भाड़ा	प्रथम 8 घण्टे तक रू0 156.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए रू0 09.00

चार– मैक्सी कैब		
(1)	किराये की दरें मैदानी मार्ग हेतु	रू0 17.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए
	पर्वतीय मार्ग हेतु	रू0 18.00 प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए
(2)	प्रतीक्षा भाड़ा	प्रथम 8 घण्टे तक रू0 238.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए रू0 17.00

पाँच— ठेका बस			
क्र. सं.	वाहन का प्रकार	मैदानी मार्गों हेतु (प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए)	पर्वतीय मार्गों हेतु (प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए)
(1)	चालक को छोड़कर 13 से अधिक किन्तु 20 से कम सीट वाली वाहनों के लिए	रू0 19.00	रू0 24.00
(2)	चालक को छोड़कर 20 से अधिक किन्तु 42 से कम सीट वाली वाहनों के लिए	रू0 29.00	रू0 34.00
(3)	चालक को छोड़कर 42 या उससे अधिक सीट वाली वाहनों के लिए	रू0 34.00	रू0 34.00
(4)	डीलक्स सेवा	रू0 41.00	रू0 42.00
(5)	वातानुकूलित सेवा	रू0 48.00	रू0 50.00
(6)	प्रतीक्षा भाड़ा	प्रथम 8 घण्टे तक रू0 468.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए रू0 31.00	प्रथम 8 घण्टे तक रू0 468.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए रू0 31.00

स्पष्टीकरण

1— ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हों।

2— टैम्पो का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अधिक परन्तु 6 से अनधिक सीटें हों।

3— टैक्सी कैब का तात्पर्य चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 6 से अनधिक सीटें हों।

4— मैक्सी कैब का तात्पर्य चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 6 से अधिक परन्तु 12 से अनधिक सीटें हों।

5— ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।

6— संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थः—

1.01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0

1.51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0

7— यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी.) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

8— औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।

9— किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

10— वातानुकूलित सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें:—

क. प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ—साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8×48.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे फामे के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40 / 17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

ख. बैठने की व्यवस्था— सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर दो अथवा तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ—साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

ग. खिड़कियां— केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

घ. चालक केबिन— चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

ड.— वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश एवं वातानुकूलन की सुविधायें होनी चाहिएं।

11— पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौडी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

3— माल वाहनों के लिए भाड़े की दरें

एक—	**अधिकतम भाड़े की दर**	
1—	मैदानी मार्ग हेतु	25 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
2—	पर्वतीय मार्ग हेतु	38 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
दो—	**रोक लेने का प्रभार (डिटेन्शन चार्ज)**	
	प्रतिदिन 8 घण्टे के लिए	हल्के मोटरयान के लिए रू0 144.00
		अन्य मोटरयान के लिए रू0 216.00

स्पष्टीकरण

1— संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थः—

1.01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0

1.51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0

2— यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी.) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3— किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

4— यदि रोक लेने का समय मिलाकर हल्के मोटरयान की प्रतिदिन की औसत आय रू0 300.00 एवं अन्य मोटरयान की प्रतिदिन की औसत आय रू0 600.00 हो तो रोक लेने का प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

5— पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौडी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

टिप्पणी—यात्री किराया एवं माल भाडे की उक्त दरें विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

चन्द्रशेखर भट्ट,

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,

उत्तराखण्ड।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 28—09—2013, भाग 1—क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित——]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 परिवहन/601—23—10—2013—200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।